

**विज्ञापित**


उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या-148(1)/XXIII-1/2024-04(1)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 के कम में वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि (दिनांक 21.08.2024 से 31.03.2025) हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का पुनर्व्यवस्थापन पूर्ण एवं अधिकतम राजस्व के अनुसार किया जाना है, जिस हेतु निम्नवत् कार्यकमानुसार इच्छुक/पात्र समस्त उत्तराखण्ड निवासियों से निर्धारित तिथि व समयावधि तक कार्यालय समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक व समय
1	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर में।
2	प्राप्त आवेदनों पर लाटरी प्रक्रिया का समय	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 02:30 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक कलेक्ट्रेट सभागार, ऊधमसिंह नगर में।
3	पूर्ण राजस्व पर आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबंद ऑफर /प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 02:30 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर में।
4	ऑफर खोले जाने का समय	दिनांक 21.08.2024 को अपरान्ह 04:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, ऊधमसिंह नगर में।

**पुनर्व्यवस्थापन हेतु मदिरा दुकानों का विवरण**

क्र०सं०	मदिरा की फुटकर दुकान का नाम	मदिरा दुकान का प्रकार	वर्ष 2024-25 की अवशेष अवधि (दिनांक 21.08.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु राजस्व विवरण (रु० में)			प्रतिभूति की धनराशि (01 माह हेतु)	हैसियत धनराशि	धरोहर धनराशि
			निर्धारित राजस्व	लाईसेन्स फीस	एम0जी0डी0 की धनराशि			
1.	रुद्रपुर निकट बस अड्डा	विदेशी	106485555	1065000	105420555	14317205	15972833	2662139
2.	उकरौली	विदेशी	33221764	332000	32889764	4466771	4983265	830544
3.	खटीमा न०-01	विदेशी	51866221	519000	51347221	6973485	7779933	1296656
4.	काशीपुर रोड़ नि०गल्ला मण्डी	विदेशी	64320726	643000	63677726	8648096	9648109	1608018
5.	किच्चा न०-2	विदेशी	27462588	275000	27187588	3692357	4119388	686565
6.	बाजपुर न०-2 निकट राजश्री बार	विदेशी	29902500	299000	29603500	4020463	4485375	747563
7.	रुद्रपुर (नि०बस अड्डा)	देशी	35238253	352000	34886253	4737915	5285738	880956
8.	गोबरा	देशी	1290263	13000	1277263	173466	193539	32257
9.	बेरिया रोड़ बाजपुर	देशी	6097110	61000	6036110	819766	914567	152428

उपरोक्त मदिरा की दुकानों हेतु इच्छुक/पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र, आयकर लेखा (पेन कार्ड), आधार कार्ड, 02 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र (10 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप जी-39 में तथा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रू०-65,000/- का ड्राफ्ट (अप्रतिदेय) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के नाम देय हो, सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेन्स प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आवेदक/ऑफरदाता से निगोशिएशन उपरान्त अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकान का आवंटन किया जायेगा। दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आवंटन समिति का होगा। जनपद की मदिरा दुकानों से सम्बन्धित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईड [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in), [uk.gov.nic.in](http://uk.gov.nic.in) एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक रुद्रपुर, खटीमा एवं बाजपुर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।


पत्रांक 879/जि0आ0अधि0/मदिरा दुकान/पुनर्व्यवस्थापन/2024-25/ऊ0सि0नगर/दिनांक अगस्त/8 2024

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01-आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

02-जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

03-सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड के संस्करण में न्यूनतम स्थान में निर्धारित दरों पर दिनांक 14.08.2024 के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
ऊधमसिंह नगर।